उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून
UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY DEHRADUN
महिला पॉलीटेक्नीक परिसर, पो०ऑ० चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड
Govt Girls Polytechnic Campus, P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun-248007, U.K.
Website : www.uktech.in Tel : 0135-2770126, 127, 128 Fax : 0135-2770124

55

वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 03/05/2012, (बृहस्पतिवार) का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय सुद्धौवाला, देहरादून की **वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक, दिनांक 03/05/2012 (बृहस्पतिवार)** को **अपराहनं 03 बजे** प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष में मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित/सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

01	प्रो0 डी0एस0 चौहान, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	अध्यक्ष
02	श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उ0ख0 शासन।	सदस्य
03	श्री एम0सी0 जोशी, अपर सचिव वित्त (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)।	सदस्य
04	डॉ0 जी0एस0 रजवार, उपनिदेशक, उच्च–शिक्षा (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च–शिक्षा)।	सदस्य
05	श्री प्रमोद कुमार जोशी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य/सचिव
06	डॉ0 आशीष उनियाल, उप–कुलसचिव (प्रतिनिधि कुलसचिव), उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
07	प्रो0 अनुराग स्वामी, प्राचार्य, जी0बी0 पंत इंजी0 कॉलेज, घुडदौडी (गढ़वाल)	सदस्य

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार विनिश्चय (निर्णय) लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दुः–01

दिनांक 15.11.2011 को वित्त समिति की सम्पन्न दसवीं बैठक का कार्यवृत्त एवं तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही

विनिश्चयः– वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से विगत दसवीं बैठक दिनांक 15.11.11 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः–02 (अ)

सुद्धोवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं अन्य संगत कार्यो की भौतिक व वित्तीय प्रगति संज्ञानार्थ एवं तत्सम्बन्धी पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 लाख पर शासन से प्रत्याशित प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2012–13 मे अग्रेत्तर किस्त अवमुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

इस कम में कार्यदायी संस्था से प्राप्त माह मार्च 2012 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना के आधार पर संकलित प्रगति सूचना संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। तद्नुसार अवगत कराना है कि निर्माणाधीन भवन पर अबतक कुल कमिक भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है तथा शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत 2220.52 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्थान को अबतक कुल रू0 2200.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके है। तद्नुसार अवशेष रू0 20.52 लाख है। इस कम में यह भी सूच्य है कि अबतक प्रदत्त/अवमुक्त किस्तों के सापेक्ष विश्वविद्यालय के तकनीकी सलाहकार से कृत कार्यो की मूल्यांकन लागत रू0 2182.31 लाख आगणित है। अवगत कराना है कि निर्माणाधीन भवन के डिजाइन एवं कतिपय अन्य मदों में आंशिक संशोधन/वृद्धि के कारण कार्यदायी संस्था से भवन का पुनरीक्षित/विस्तृत आगणन रू0 3458.05 लाख का प्राप्त कर शासन को प्रशासनिक स्वीकति हेतु पूर्व ही पत्रांक 9856/लेखा दिनांक 24.09.11 द्वारा भेजा जा चुका है जिसका कुर्सी क्षेत्रफल अब 6230 वर्ग मी0 के स्थान पर 7280 वर्गमी0 है जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त होना प्रत्याशित है। यद्यपि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्ध के आधार पर निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं संगत अन्य कार्य दिनांक 31.12.2011 तक पूर्ण कराना अनुबन्धित था। किन्तु अब उक्तानुसार भवन के डिजाइन में कतिपय आंशिक संशोधन के कारण पुनरीक्षित प्रांकलन पर अभी तक शासन से प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहने पर प्रश्नगत निर्माणकार्य हर दशा में चालू वित्त वर्ष 2012–13 अन्तर्गत शत प्रतिशत पूर्ण कराना/विभाग को हस्तान्तरित होना सम्भावित है। तद्नुसार निर्माणाधीन भवन पर कार्यदायी संस्था को शासन से

प्रत्याशित स्वीकृति के दृष्टिगत अवशेष भुगतान कार्य की भौतिक प्रगति एवं उपलब्ध बजट के आधार पर किस्तें अवमुक्त किया जाना भी प्रस्तावित है। इस क्रम में यह भी संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि उक्त भवन के भूतल पर विश्वविद्यालय द्वारा एम0फार्मा0/सिक्वेंशियल एम0टैक0/एम0टैक0 पाठ्यक्रम की कक्षाएं भी विगत वर्ष 2011–12 से यथावत चलायी जा रही है।

विनिश्चयः–

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श बाद वित्त समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

1. निर्माणाधीन भवन पर प्रारम्भ से अबतक स्वीकृत लागत रू0 2220.52 लाख के सापेक्ष रू0 22200.00 लाख अवमुक्त किये जाने पर भी तत्सम्बन्धी क्रमिक भौतिक प्रगति मात्र 76 प्रतिशत है जिस पर मा0 प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कतिपय अन्य मा0 सदस्यों द्वारा असन्तोष/अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। इसी क्रम में मा0 प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा की अपेक्षानुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 10.5.2012 को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में एवं मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आहूत की जायेगी। जिसमे प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगें।
2. सर्व सम्मति द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पर पुनरीक्षित प्रांकलन के आधार पर अग्रेत्तर किस्तें शासन से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुमोदित/उपलब्ध बजट के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा समय समय पर निर्धारित किश्तें अवमुक्त की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 02 (ब)

उक्त प्रस्तर बिन्दु 02 (अ) के क्रम में शासन के पत्रांक 365/XLI-1 /2012–126/09 दिनांक 04.04.2012 द्वारा उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 पर अपेक्षित आख्या/संस्तुति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

उक्त वर्णित पुनरीक्षित आगणन रू0 3458.05 लाख पर शासन द्वारा पत्रांक 365/XLI-1/2012–126/09 दिनांक 04.04.2012 में सन्दर्भित विश्वविद्यालय के पत्रांक 9856/लेखा/प्रभनि0–25/2011–12 दिनांक 24.09.11 के क्रम में स्पष्ट आख्या/संस्तुति चाही गयी है। चूंकि यह प्रकरण अब शासन स्तर पर लम्बित है एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु शासन से कोई भी ग्रान्ट अभी तक प्रदत्त नही की गयी अथवा नही की जा रही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय के आय प्राप्ति के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत इस क्रम में शासन की प्रशासनिक स्वीकृति को ही अन्तिम निर्णय अनुमन्य किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय(02 ब):–:–

इस क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण अब शासन स्तर पर विचाराधीन है अस्तु इस क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय ही अनुमन्य होगा।

एजेण्डा बिन्दुः–03

शासन द्वारा पिथौरागढ़ में वित्त वर्ष 2011–12 में स्वीकृत/नवसृजित एवं संचालित हो रहे सीमान्त प्रौद्यौगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित आवश्यक भवनों का निर्माण कार्य आबंटित भूमि पर चालू वित्त वर्ष 2012–13 में आरम्भ कराने एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम किस्त अवमुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ_।

इस क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संस्थान की अवस्थापना सुविधाओं यथा प्रयोगशाला उपकरण/कार्यशाला उपकरण/कार्यालय अन्य उपकरण, पाठ्यपुस्तकों, फर्नीचर एवं वाहन आदि क्रय हेतु विश्वविद्यालय को माह दिसम्बर, 2011 में शासनादेश सं0 1241/XLI-1/2011-127/11 दिनांक 23.12.2011 द्वारा ग्रान्ट रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) के रूप में प्राप्त है जिसे माह जनवरी, 12 में आहरित कर सुद्धोवाला में स्थित बी0ओ0बी0 में एक पृथक खाता सं0 35820100000696 खोलकर रखा गया है। तद्नुसार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित है। उक्त संस्थान के भवन निर्माण की अनावर्तक मद (भवननिर्माण) में स्वीकृत आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाना उक्त शासनादेश में निर्देशित है तद्नुसार भवन निर्माण कार्य हेतु शेष 50 प्रतिशत धनराशि का अंश विश्वविद्यालय निधि से वहन किया जाना प्रस्तावित है एवं आवर्तक मद में शत प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। इस संस्थान के प्रथमचरण में आवश्यक भवनों पर चालू वित्तं वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्य आरम्भ कराने एवं विश्वविद्यालय निधि से देय धनराशि अनुमानतः रू0 4.00 करोड़ किस्तों में अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय(03):–

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श उपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा सीमान्त प्रौद्यौगिक संस्थान पिथौरागढ़ हेतु विश्वविद्यालय के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू0 1.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 75.00 लाख अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस ग्रान्ट के सापेक्ष संस्थान द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 में

उपलब्ध करायी गयी रू0 25.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र/बी0एम0–8 एवं भौतिक प्रगति की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार ही मा0 कुलपति महोदय के निर्णय पर अनुमोदन उपरान्त संस्थान को अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उक्त संस्थान हेतु प्रथम चरण मे प्रस्तावित आवश्यक भवनों का स्थाई निर्माण कार्य हेतु शासन को पूर्व ही उपलब्ध कराये गये आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय निधि से प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख की किस्त शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम) को उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्यदायी संस्था से विस्तृत डी0पी0आर0 अविलम्ब शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रेत्तर किस्तें शासन से आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त ही एवं बजट उपलब्धता के आधार पर कार्यदायी संस्था को समय समय पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त ही अवमुक्त की जायेंगी। तद्नुसार वर्णित/प्रस्तावित भवनों पर तीन चरणों में निर्माण कार्य कराया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दुः–04

शासन द्वारा सुद्धोवाला में स्वीकृत/नव सृजित रा0 महिला इंजी0 कॉलेज, सुद्धोवाला हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित आवश्यक भवनों का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष 2012–13 में आरम्भ कराने व विश्वविद्यालय द्वारा तत्सम्बन्धी प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने तथा इसी वर्ष से कक्षाएं आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

इस कम में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 1346/XLI-1/2011-56/10 दिनांक 14.12.2011 द्वारा विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज के रूप में महिला इंजी0 कॉलेज स्थापित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसे चालू वित्त वर्ष के माह जुलाई 2012 से विश्वविद्यालय परिसर में ही चालू किया जाना प्रस्तावित है। इसी कम में तद्नुसार नवसृजित महिला इंजी0 कॉलेज, के प्रथम चरण में आवश्यक भवनों पर (विश्वविद्यालय को आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि पर) निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाना तत्सम्बन्धी स्वीकृत आगणन के आधार पर प्रस्तावित है। इस हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था ''उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून'' से तत्काल आगणन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस कार्य में भी शासन स्तर से अनावर्तक व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाना निर्देशित है एंव आवर्तक मद में 100 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाना भी शासन द्वारा र्निणित है। अतः तद्नुसार उक्त वर्णित नव सृजित संस्थान में प्रथम वर्ष की कक्षाएं आरम्भ कराने तथा प्रस्तावित भवनों पर चालू वित्त वर्ष 2012–13 में विश्वविद्यालय निधि से प्रथम चरण के निर्माण कार्यों हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर भवनों पर कार्य आरम्भ कराने हेतु आवश्यक धनराशि (अनुमानतः रू0 4.00 करोड़) अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (04):–

इस कम में गहन विचार विर्मश के बाद वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को पूर्व आबंटित भूमि पर रा0 महिला इंजी0 कॉलेज, सुद्धोवाला हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित आवश्यक भवनों के निर्माणार्थ नामित कार्यदायी संस्था से तत्काल ही आगणन गठित कराकर विस्तृत डी0पी0आर0 सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। शासन से प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त ही भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा एवं तद्नुसार ही उलपब्ध बजट के आधापर पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पर किश्तें अवमुक्त की जायेगी।

इस नव सृजित संस्थान में शिक्षा सत्र 2012–13 में कक्षाएं आरम्भ कराने के सम्बन्ध में मा0 प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षा की गयी कि उक्त वर्णित कॉलेज मे प्रस्तावित 5 ब्रांचेज के स्थान पर 03 ब्रांचेज के पाठ्यक्रम प्रथम चरण में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर अन्तिम निर्णय मा0 कुलपति महोदय का ही अनुमन्य होगा।

एजेण्डा बिन्दुः–05

शासन को पूर्व प्रेषित बाढ़ सुरक्षा कार्य, (आबंटित भूमि/निर्माणाधीन भवन सुद्धोवाला हेतु) के आगणन रू0 159.34 लाख पर शासन से प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त संस्था निधि (यू0टी0यू0) से वर्ष 2012–13 में कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

इस कम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन/भूमि की दरेड नदी से बाड सुरक्षा हेंतु शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत आगणन रू0 130.81 लाख के स्थान पर सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन रू0 159.34 लाख का प्रस्ताव आगणन सहित शासन को पत्रांक 8191 दिनांक 17.3.11 द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिस पर समय समय पर स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने पर अब पुनः मा0 कुलपति महोदय की ओर से प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा को पत्रांक 11198/लेखा दिनांक 22.3.12 के माध्यम से लिखा है कि विगत वर्ष की अधिक वर्षा के कारण विश्वविद्यालय परिसर/भूमि में नदी का पानी घुस जाने के फलस्वरूप अब उक्त बाढ़ सुरक्षा कार्य तत्काल आरम्भ कराया जाना अपरिहार्य हो चुका है। यदि उक्त वर्णित कार्य तत्काल आरम्भ नही कराया गया तो आगामी वर्षा ऋतु में भूमि कटाव से निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन सहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर को भारी क्षति घटित होना सम्भावित है। इस कार्य हेतु शासन से ग्रान्ट उपलब्ध न होने की दशा में विश्वविद्यालय निधि से व्यय वहन किया जाना प्रस्तावित है। अतः कृपया उक्त अपरिहार्य स्थिति के दृष्टिगत सिचाई

विभाग देहरादून के माध्यम से स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य आरम्भ कराने एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्णित यथाआवश्यक किस्त अवमुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (05):–

इस क्रम में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, उ0ख0 शासन द्वारा अपेक्षा की गयी कि सिचांई विभाग उ0ख0 देहरादून द्वारा गठित आगणन रू0 159.34 लाख के साथ उ0ख0 शासन (वित्त अनुभाग–1) की कार्यालय ज्ञाप सं0 571/XXVII(1)/20410 दिनांक 19.10.2010 में निर्दिष्टि निर्देशानुसार प्रस्तावित कार्यदायी संस्था से विस्तृत परियोजना रिर्पोट प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मिति से सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः–(06)

सुद्धोवाला में आबंटित भूमि की अवशेष चाहरदीवारी के प्रांकलन रू0 89.23 लाख पर शासन से प्रशासनिक स्वीकृति पर संस्था निधि (यू0टी0यू0) से वित्त वर्ष 2012–13 में कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सुद्धोवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के पुनरीक्षित/विस्तृत आगणन में 500 रनिंग मीटर चाहरदीवारी निर्माण कार्य ही सम्मिलित है। सूच्य है कि सम्पूर्ण चाहरदीवारी न बनने की दशा में विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण के खतरे सम्भावित है। इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु 200 रनिंग मीटर अतिरिक्त चाहरदीवारी निर्माण कार्य साथ साथ कराया जाना भी अपरिहार्य है। अतः तद्नुसार शासन को पूर्व प्रेषित आंगणन रू0 89.23 लाख पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय निधि से वित्त वर्ष 2012–13 में कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (06):–

इस प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, द्वारा अपेक्षा की गयी कि तत्सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिर्पोट एवं विस्तृत आगणन उ0ख0 पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (नामित कार्यदायी संस्था) से गठित कराकर शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन की प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य भी इसी कार्यदायी संस्था के माध्यम से कियान्वित किया जायेगा। वित्त समिति द्वारा तद्नुसार प्रस्तावित व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः–07

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थानों/कॉलेजों हेतु चालू वित्त वर्ष 2012–13 से निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क (रू0 1500/–सामान्य श्रेणी एवं रू0 1000/– आरक्षित श्रेणी प्रति छात्र) का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को संज्ञान कराना है कि वर्तमान में 03 विधि कॉलेज (1–सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून, 2–शकुन्तला लॉ कॉलेज, ब्राहम्मणवाला देहरादून, 3–सेलाकुई लॉ कॉलेज, देहरादून) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है एवं संचालित हो रहे है। इस क्रम में विभिन्न लॉ कालेजों में प्रवेश परीक्षा की अलग दरें होने पर दिनांक 14.3.12 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उक्तांकित कॉलेजों के निदेशक/प्रधानाचार्यो तथा अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न बैठक में प्रवेश परीक्षा 20, मई 2012 को आयोजित कराने एवं परीक्षा केन्द्र दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ, हल्द्वानी एवं देहरादून सहित 05 शहरों में परीक्षा कराने का विनिश्चय किया गया है। इस कार्य हेतु मा0 न्यायमूर्ति श्री के0डी0 शाही, को उक्त परीक्षा केन्द्रों के स्थान निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया है। इसी बैठक में प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए रू0 1500.00 (रू0 एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिछात्र एवं आरक्षित श्रेणी के लिए रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) प्रति छात्र भी निर्णित किया गया है।

अतः तद्नुसार निर्धारित प्रवेश परीक्षा तिथि, केन्द्र एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (07):–

इस क्रम में यथा प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा शुल्क पर सर्वसंम्मिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः–08

विश्वविद्यालय में वित्त वर्ष 2009–10 से आरम्भ कराये गये छात्र कल्याण शुल्क (दर रू0 200.00 वार्षिक प्रति छात्र,) की निधि से छात्र के अविभावक की आकस्मिक मृत्यु होने पर पात्रता के आधार पर ट्यूशन फीस/आकस्मिक सहायता भी छात्र कल्याण निधि से वहन किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

मा0 सदस्यों को सादर अवगत कराना है कि वित्त वर्ष 2009–10 से विश्वविद्यालय निधि में पृथक से एक छात्र कल्याण निधि सृजित की गयी थी जो वर्तमान में भी यथावत जारी है। इसके अर्न्तगत प्रत्येक अध्ययनरत छात्र

से रू0 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) वार्षिक छात्र कल्याण शुल्क के रूप में कॉलेजों के माध्यम से राजस्व प्राप्त की जाती है। इस निधि के गठन का उद्देश्य अध्ययनरत छात्र की मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति, निर्धन छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं शिक्षण शुल्क माफी तथा पुस्तकीय सहायता हेतु शुल्क एकत्र किया जाना है। किन्तु इस बीच अध्ययनरत छात्र/छात्रा के अविभावक की आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु भी समय समय पर विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे है। ऐसी विशेष अपरिहार्य स्थिति में एवं छात्र हित के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि छात्र की पढ़ाई निर्धारित अवधि तक यथावत जारी रखने हेतु उक्त कल्याण निधि में वर्णित उददश्यों के साथ साथ ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को समय समय पर देय शिक्षण शुल्क की बजट की उपलब्धता के आधार पर शत प्रतिशत माफी अथवा आंशिक माफी मा0 कुलपति महोदय द्वारा उक्त वर्णित सभी प्रकार की सहायता स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (08):–

इस कम में यथाप्रस्तावित प्रस्ताव पर सर्वसम्मिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः–09

वित्त वर्ष 2012–13 हेतु संघटक तीन कॉलेजों सहित आय व्ययक अनुमान का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त वर्ष 2012–13 का संघटक तीन कॉलेजों (टी0एच0डी0सी0, एस0आई0टी0 पिथौरागढ़, व रा0 महिला इंजी0 कॉलेज सुद्धोवाला) सहित आय व्ययक अनुमान विगत वर्ष की भांति विहित प्रारूपों पर मुख्य लेखा शीर्षक/उप लेखा शीर्षकवार एवं नियमानुसार विस्तृत रूप से तैयार कर/संकलित कर पर पृथक से अवस्थित है। अतः प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय (09):–

इस कम में विश्वविद्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तुत आय व्ययक अनुमान कुल अनुमानित आय रू0 54.50 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2012–13 हेतु कुल अनुमानित व्यय (तीन संघठक कॉलेजों सहित) रू0 53.98 करोड़ का वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा प्रत्येक मानक मदों में प्रस्तावित आय व्ययक का गहन अध्ययन/विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मिति से प्रस्तावित आय व्ययक अनुमान का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः–10

वित्त वर्ष 2011–12 का वास्तविक/पुनरीक्षित आय व्ययक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 15.11.2011 में वित्त वर्ष 2011–12 हेतु पारित प्रथम पुनरीक्षित बजट के सापेक्ष अपरिहार्य स्थिति में/जनहित के दृष्टिगत वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कतिपय मदों में अनुमोदित अनुमान से अधिक व्यय की धनराशि के फलस्वरूप कुल वास्तविक/पुनरीक्षित आय व्ययक विवरण वित्त वर्ष 2011–12 का प्रस्तुत है। तद्नुसार पूर्व अनुमोदित परिव्यय रू0 24.75 करोड़ के सापेक्ष रू0 19.34 करोड़ कुल व्यय है एवं पूर्व अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष कुल आधिक्य रू0 3.01 करोड़ व कुल बचत रू0 8.43 करोड़ है। अतः कृपया कोड सं0 01, 03, 04, 05, 07, 14, 15, 18, 19, एवं 21 में अधिक व्यय की गयी धनराशि योग रू0 3.01 करोड तथा बचत की धनराशि योग रू0 8.43 करोड़ पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। इसी भांति वित्त वर्ष 2011–12 के आय पक्ष में पूर्व अनुमोदित आय रू0 33.00 करोड़ के सापेक्ष कुल वास्तविक आय 36.91 करोड़ है। तद्नुसार अनुमानित आय के सापेक्ष 4.81 करोड़ अतिरिक्त आय व 2.24 करोड कम आय प्राप्त है। सम्पूर्ण तथ्य/आंकडें संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय (10):–

विश्वविद्यालय द्वारा इस कम में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2011–12 के अन्तिम पुनरीक्षित आय व्ययक का अवलोकन/अध्ययन बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा किया गया एवं भविष्य में अपेक्षा की गयी कि विशेष/अपरिहार्य स्थिति में ही पुनरीक्षित आय व्ययक वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस कम में मा0 सदस्यों द्वारा एवं मा0 प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्ष के प्रारम्भ में पारित अनुमानित व्यय के योग के सापेक्ष यदि कुल अनुमानित व्यय में वृद्धि नही होती तो ऐसी स्थिति में एक मद से दूसरी मद में re-appropriation विश्वविद्यालय स्तर पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पर किया जाना चाहिए जिस पर सर्वसम्मिति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा प्रस्तुत पुनरीक्षित आय व्ययक विवरण का वित्त समिति द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दुः–11

विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2009–10 से चालू वित्त वर्ष 2012–13 में भी यथावत प्रभावी स्नातक/परास्नातक के विभिन्न कोर्सेज फीस दरों की सूची संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ ।

इस क्रम में अवगत कराना है वित्त वर्ष 2009–10 वर्तमान वित्त वर्ष में भी स्नातक/परास्नातक के विभिन्न कोर्सेज की फी दरें यथावत प्रभावी है किन्तु इनमें से एम0टैक0/एम0फार्मा0 के दो कोर्सेज वित्त वर्ष 2011–12 से विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रारम्भ कराये गये है। तद्नुसार ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के समस्त कोर्सेज का फीस ढांचा पृथक से तैयार कर पर संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय (11):–

इस क्रम में प्रस्तावित परिशिष्ट सं0 1 एवं 2 पर वित्त वर्ष 2012–13 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे का अध्ययन/अवलोकन उपरान्त सर्वसम्मिति द्वारा अनुमोदन किया गया। इसी भांति बजट पुस्तिका के पृष्ठांक 60 से 61 एवं 62 से 63 पर वित्त वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तुत क्रमशः परीक्षा संचालन एवं परीक्षा मूल्यांकन की दरें वित्त समिति द्वारा अवलोकन/अध्ययन उपरान्त यथावत अनुमोदित की गयी।

एजेण्डा बिन्दुः–12

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु (01):–

बैठक में उपस्थित अपर सचिव वित्त, द्वारा प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय में विगत वर्षो की विद्यमान लेंनदारी/देनदारियों के दृष्टिगत एकल लेखाकंन प्रणाली के स्थान पर दोहरी लेखाकंन प्रणाली प्रकिया लागू की जानी चाहिए तथा आवश्यक होने पर इस कार्य हेतु समय समय पर अधिप्राप्ति नियमावली के संगत नियमानुसार सी0ए0 की सेवाएं ली जानी चाहिए।

विनिश्चय (01):–

उक्त वर्णित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

11/5/2012
(प्रमोद कुमार जोशी)
सचिव/वित्त नियंत्रक

(प्रो0 डी0एस0 चौहान)
कुलपति